SAVE

अगर आप वहाँ मतदान करने के लिए पंजीकृत नहीं हैं, जहाँ आप अब रहते हैं, तो क्या आप आज यहाँ मतदान करने के लिए पंजीकरण कराना चाहेंगे?
(एक पर निशान लगाएं)

☐ पहले से पंजीकृत। मैं अपने वर्तमान निवास पते पर मतदान करने के लिए पंजीकृत हूँ।

☐ हाँ। मैं मतदान करने के लिए पंजीकरण कराना चाहूँगा/चाहूँगी। (कृपया संलग्न मतदाता पंजीकरण कार्ड भरें।)

☐ नहीं। मैं मतदान करने के लिए पंजीकरण नहीं कराना चाहता/चाहती।

टिप्पणी: अगर आप किसी बॉक्स पर निशान नहीं लगाते/लगातीं, तो यह मान लिया जाएगा कि आपने इस समय मतदान करने के लिए पंजीकरण न कराने का निर्णय लिया है। आप संलग्न मतदाता पंजीकरण फ़ार्म को ले जाकर अपनी सुविधा के अनुसार अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

_____

आवेदक का नाम तारीख

महत्त्वपूर्ण सूचनाएं

1. मतदान करने हेतु पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन करने या इसके लिए पंजीकरण करवाने से मना करने पर उस सहायता की धनराशि प्रभावित **नहीं** होगी जो इस एजेंसी द्वारा आपको प्रदान की जाएगी।

2. अगर आप मतदाता पंजीकरण आवेदन फॉर्म भरने में सहायता लेना चाहें, तो हम आपकी सहायता करेंगे। सहायता माँगने या स्वीकार करने का निर्णय आपका है। आप आवेदन फॉर्म निजी रूप से भर सकते हैं।

3. अगर आप सोचते हैं कि किसी ने मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाने या इसके लिए पंजीकरण करवाने से मना करने के आपके अधिकार, मतदान करने के लिए पंजीकरण करवाने या इसके लिए पंजीकरण करवाने के लिए आवेदन करने के बारे में निर्णय लेने में निजता के आपके अधिकार, या आपकी स्वयं की राजनीतिक पार्टी पसंद या अन्य राजनीतिक पसंद चुनने के आपके अधिकार में हस्तक्षेप किया है, तो आप टोल-फ्री नंबर (888) 345-2692 पर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट (Secretary of State) को फोन करके शिकायत दाखिल कर सकते हैं या आप इस पते पर लिख सकते हैं: Secretary of State, 1500 - 11th Street, Sacramento, CA, 95814। चुनाव और मतदान के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया www.sos.ca.gov पर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट की वेबसाइट देखें।